D.No. 6991-97
24/9/19

कार्यालय प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर (राज0)

खुली नीलामी सूचना (Opan Auction Notice)

सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर में लकडी, कॉच, एवं गेम्स के सामानों की दिनांक 03/10/19 समय 1:00 P.M. बजे खुली नीलामी की जायेगी। जिसकी शर्ते निम्न प्रकार है।

1. नीलामी में भाग लेने से पूर्व रूपये 2,500/-(दो हजार पॉच सौ रूपये) नगद बतौर अमानत राशि मौके पर जमा करानी होगी।
2. अमानत राशि नीलामी मे भाग लेने वाले सभी असफल बोलीदाताओं को नीलामी पश्चात उन्हें प्रदत्त की गयी रसीद प्रस्तुत करने पर लौटा दी जायेगी।
3. नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व से नीलामी तिथि तक कार्यालय में नीलामी योग्य सामानों को देख सकेंगे।
4. नीलामी में निस्तारण योग्य के आधार पर नीलामी में बेचा जावेगा तथा वहीं से बिना किसी अन्य खर्चे के स्वंय के स्तर से उठाना होगा।
5. कोई भी बोलीदाता (व्यक्तिगत/पार्टनरशिप फर्म/कॉपरेटिव) जिसका भारत में कानूनी व्यवसाय है। नीलामी में भाग ले सकता है।
6. सफल बोलीदाता को दो दिन के अन्दर बोली राशि जमा करानी होगी।
7. सामान के प्रदायगी के समय बतौर जमा अमानत राशि और वास्तविक बोली राशि के अन्तर की राशि जमा कराने के पश्चात ही प्रदायगी की जावेगी।
8. समस्त विवाद का न्यायिक क्षेत्र जयपुर (राजस्थान) होगा।
9. नीलामी कमेटी को किसी भी बोली को स्वीकार और बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
10. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय को खुली बोली की शर्तो में किसी भी समय परिवर्तन/संशोधन का अधिकार होगा।
11. विक्रय पर जो भी कर लागू हो प्रचलित दर से प्रदायगी बोली राशि में पृथक से गणना में शामिल होगा और उसी को वह राशि संबंधित फर्म को जमा करानी होगी।
12. बिके हुए नकारा सामान की राशि बोलीदाता के नाम से ही जमा की जावेगी परन्तु वह प्रदायगी अन्य किसी व्यक्ति को करना चाहता है तो उस व्यक्ति की आई.डी. और हस्ताक्षर प्रमाणित करके स्वंय की उपस्थिति में देगा।
13. किसी भी विवाद के लिए प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर सक्षम अधिकारी होगे और उनका निर्णय अंतिम होगा जो दोनो पक्षों का मान्य होगा।
14. बोलीदाता द्वारा नकारा सामान उठाने की सूचना 2 दिवस पूर्व लिखित में देनी होगी और जहॉ तक संभव हो नकारा सामान कार्य दिवस को 04.00 बजे तक उठाना होगा।
15. बोलीदाता को लोडिंग/अनलोडिंग ट्रॉसपोर्ट की व्यवस्था स्वंय के स्तर पर करनी होगी। जिसको शुल्क/राशि देय नहीं होगी।
16. फर्म को पेन नम्बर व जी.एस.टी. नम्बर तथा फर्म का रजिस्ट्रेशन की प्रति उपलब्ध कराने होगे।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

क्रमांक 6991-97 एफ/एमसी/स्टोर/2019–20 दिनांक.......................2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त प्रधानाचार्य (व्यय) एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
3. नियंत्रण अधिकारी, भण्डार शाखा, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
4. लेखाशाखा, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
5. भण्डारपाल, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
6. कॉलेज कैशियर, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
7. मैसर्स.../नोटिस बोर्ड, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक